<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी द्वितीय) बलरामपुर।</u>
<u>(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)</u>

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–128 / 2022
कम्प्यूटरीकृत पंजीयन संख्या–1111 / 2022

सगीर अहमद **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0सं0–52 / 2019
धारा–3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट
थाना–कोतवाली गैसड़ी
जिला–बलरामपुर।

<u>दिनांकः–07.10.2022</u> **<u>निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त सगीर अहमद</u>**

अभियुक्त सगीर अहमद पुत्र अतीकुर्रहमान निवासी ग्राम रजडेरवा थाना कोतवाली गैसड़ी जनपद बलरामपरु की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–52 / 2097 अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 थाना–कोतवाली गैसड़ी जिला–बलरामपुर के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथी अय्यूब का शपथ पत्र दाखिल किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी का प्रश्नगत मामले में मा0 न्यायालय पर यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त प्रार्थी का प्रश्नगत मामले में कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र मा0 उच्च न्यायालय पर न तो प्रस्तुत हुआ है, और नही निरस्त हुआ है, और ना ही विचाराधीन है। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है, तथाकथित अपराध से प्रार्थी का कोई वास्ता व सरोकार नही है। तथ्य विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा जिस स्पाट नं0 29 समय 17:40 दिनांकित 24.04.2019 को रवाना होकर प्रार्थी व गंगचारी के उल्लिखित अन्य अभियुक्त के द्वारा अवैध रूप से मानव शरीर सम्पत्ति में से सम्बन्धित अपराध करने के लिए अभ्यस्त होना बताया गया है, अवैध रूप से पन अर्जित करना बताया गया है, उस समय प्रार्थी जिला कारागार बलरामपुर में निरुद्ध था, और गंगवारी में उल्लिखित अन्य अभियुक्त भी जिला कारागार में निरूद्ध थे, से यह स्पष्ट है कि थाना हाजा की पुलिस ने प्रार्थी का उत्पीडन करके भय में डालने का मुकदमा कायम किया है। प्रार्थी को अभ्यस्त व पेशेवर अपराधी बताया गया है, लेकिन गंगचारी में मात्र एक मुकदा प्रार्थी के विरूद्ध बताया गया है। मुकदमा दर्ज होने से अब तक प्रार्थी जेल में निरूद्ध है। किसी प्रकार का कोई आर्थिक व नैतिक लाभ अर्जित किये जाने का कोई भी मामला प्रार्थी के विरूद्ध अंकित नहीं है, न ही प्रार्थी ने कभी अपराध से भौतिक व आर्थिक लाभ अर्तिज किया है, जो गंगचारी से प्रार्थी के विरुद्ध एक मात्र मुकदमा धारा 302, 34, 394 आई0पी0सी0 थाना गैसड़ी जनपद बलरामपुर बताया गया है. उसमे प्रार्थी की जमानत प्रार्थना पत्र मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांकित

27.09.2022 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रश्नगत मामले में सहअभियुक्त रहबर रजा उर्फ शाहिद की जमानत मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2019 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी के अधिक दिनों तक जेल में रहने से प्रार्थी का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। यह कि प्रार्थी की जमानत स्थानीय एवं सम्भ्रान्त व्यक्ति लेने को तैयार है। यह कि प्रार्थी अपनी जमानत का दुरुपयोग नही करेगा तथा मा0 न्यायालय के प्रत्येक आदेशों एवं निर्देशों का पालन करेगा।

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त मामले के सहअभियुक्त रहबर रजा उर्फ शाहिद की जमानत दिनांक 20.08.219 को तथा सह सहअभियुक्तगण सलमान व अतीकुर्रहमान की जमानत दिनांक 20.08.2019 को स्वीकृत हो चुकी है और यह अभियुक्त दिनांक 30.04.2019 से कारागार में निरूद्ध है।

सम्पूर्ण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार अभियुक्त सगीर अहमद पुत्र अतीकुर्रहमान का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु0 1,00,000/– रूपये (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इतनी ही धनराशि दो समान प्रतिभू निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य/कार्यवाही की तिथि पर कोई मौका प्रार्थनापत्र नहीं किया जाएगा यादि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो न्यायालय को यह अधिकार होगा कि उसकी जमानत तत्काल प्रभाव से खारिज कर दी जाए।
2. अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह बिना किसी कारण के न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहता है तो विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध धारा 229–ए भा0दं0सं0 की कार्यवाही अग्रसारित कर सकता है।
3. यदि अभियुक्त द्वारा अपनी जमानत का दुरूपयोग किया जाता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए विचारण न्यायालय को धारा 82 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही जारी करनी पड़ती हे तो न्यायालय उसके विरूद्ध धारा 174–ए भा0दं0सं0 की कार्यवाही अग्रसारित कर सकेगा।
4. अभियुक्त साक्षियों पर दबाव नहीं बनायेगा।
5. अभियुक्त आरोप हेतु एवं अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों की अवहेलना की दशा में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु विचार किया जा सकेगा।

दिनांक–07.10.2022

(विमल प्रकाश आर्य)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर) एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश
द्रुतगामी न्यायालय–द्वितीय बलरामपुर।
(C/U 14th F.C.).

Digitally signed by VIMAL PRAKASH ARYA
Date: 2022.10.07 15:03:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court